2.24

प्रपत्र–28

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक वास्तविक लम्बाई 23.50 कि.मी. के निर्माण के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट द्वारा निर्धारित संरेखण के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि एवं नाप भूमि को ग्रामीण निर्माण विभाग को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

बैठक में यह भी तय किया गया हे आवेदित वन एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricaltural Tribal Groups) निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थानः– कुँवारी

दिनांकः:– 10/9/2016

ह0

प्रधान ग्राम प्रधान / सरपंच

ग्राम पंचायत कुँवारी की मुहर

वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

सरपंच
वन पंचायत कुँवारी
तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर

नोट– परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गांवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाय। उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

2.24.1

वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव सं0...4...)

जनपद बागेश्वर में रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक लम्बाई 23.40 कि.मी. के निर्माण के समबन्ध में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग के संरेखण में वन पंचायत .. कुँवारी...... की भूमि आ रही है। वन भूमि प्रस्ताव की पूर्ति हेतु वन पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में वन पंचायत ...कुँवारी...... की दिनांक 10/9/2016 को आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा जो संरेखण तय किया गया है उसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने एवं मार्ग के निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि को ग्रामीण निर्माण विभाग को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इसके अलावा और कोई बिकल्प भी नहीं है। अतः इसी संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने का अनुरोध किया जाय।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी एक प्रति ग्रामीण निर्माण विभाग को भेजने हेतु सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया हैं।

स्थानः– ग्राम कुँवारी

दिनांकः:– 10/9/2016

ह0 सरपंच [signature]
की मुहर
सरपंच
वन पंचायत कुँवारी
तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, ग्रामीण निर्माण विभाग, कपकोट को उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित् की जाती है।

ह0 सरपंच [signature]
की मुहर
सरपंच
वन पंचायत कुँवारी
तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर

वन पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर –

1 कमला देवी
2 रूप राम
3 धरम राम
4 प्रभाकर दानू
5
6 लीला देवी
7 माधुली देवी
8 हिमन्ती देवी
9